



2026:AHC:16586

न्यायालय संख्या - 66

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2154/2026

आवेदक: विनय सिंह चंदेल

विपक्षी पक्ष: उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक के अधिवक्ता: अंशुल कुमार गुप्ता, इंद्र जीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: सरकारी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल.

1. सूची संशोधित की गई है।
2. श्री ओ.पी. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री इन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से तथा राज्य की ओर से श्री सुनील कुमार, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 121/2025, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/25/35 शस्त्र अधिनियम, 1959, थाना - एट,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनपद – जालौन में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फँसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि उसका नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर सामने आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है।
5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अन्य सह-अभियुक्तों को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। याचिकाकर्ता दिनांक 02.08.2025 से निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया, किन्तु याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अपराध की प्रकृति एवं दंड की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं है एवं उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, प्रथमदृष्टया न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. याचिकाकर्ता – विनय सिंह चंदेल को उक्त वाद अपराध में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के निजी मुचलके एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। जमानतदारों का सत्यापन रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व किया जाएगा—

- (i) याचिकाकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) याचिकाकर्ता अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/डराने का प्रयास नहीं करेगा।
- (iii) याचिकाकर्ता नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ, विचारण न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक: 22 जनवरी, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।